न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 17/2014 (उदयपुर डिक्की)

1. श्रीमती भूरी बाई पत्नी कन्ना जी गमेती, जाति भील, निवासी बलीचा, गोवर्धन विलास, उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती मीरकी पत्नी कन्ना जी गमेती, जाति भील, निवासी रामसिंह जी की बाड़ी, हाल जोगी तालाब, सवीनाखेड़ा, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. भगाराम पिता केसा जी गरासिया, जाति गरासिया, निवासी ग्राम रावछ, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती रागिनी सोनी पत्नी जितेन्द्र जी सोनी, निवासी 32, रामसिंह जी की बाड़ी, सवीनाखेड़ा, थाना गोवर्धन विलास, उदयपुर (राज.)
3. राजकुमार दिवाकर पिता रामस्वरूप जी दिवाकर, जाति कहार, निवासी नाहरमगरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. फतहलाल पिता देवीलाल जी पालीवाल, निवासी गांव पुनावली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
5. भूमिधारी तहसीलदार बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्की उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 23.04.2014 प्र.सं. 44/2014

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री महेश भट्ट अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री दुर्गासिंह शक्तावत अभि.रे.सं. 1 से 4
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभि.रे.सं. 5

———:::———

निर्णय **दिनांक 21–10–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर ग्राम रघुनाथपुरा की आराजी न ंबर 118 से 120 कुल किता 3 रकबा 0.2900 हैक्टर तथा आराजी नंबर 172 से 177 व 194 कुल किता 7 रकबा 0.6050 हैक्टर भूमि में अपना 1/4 हिस्सा बताते हुए उसकी खातेदारी चाही।

उक्त वाद के जवाब में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण दिनांक 01–10–2013 को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में अपना 1/4 हिस्सा पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया गया, किन्तु इसके बाद स्टाम्प वेण्डर से मिलीभगत कर दिनांक 01–11–2013 को मिथ्या विक्रय पत्र श्रीमती गीता देवी पत्नी हुरमाल के पक्ष में कर दिया है, जो प्रतिवादी संख्या 1 के मुकाबले शून्य व बेअसर है। वादीगण स्वच्छ हाथों से नहीं आये हैं तथा उन्हें कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होता है। अतः वादीगण का वाद विधि बाधित होने से खारिज किया जावे।

अधिानस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवदेन पर उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 23–04–2014 से उक्त आवेदन स्वीकार कर वादीगण का वाद इसी स्टेज पर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12–05–2014 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री दुर्गासिंह शक्तावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 औपचारिक पक्षकार सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि विधि द्वारा वर्जित वाद का विधिक अर्थ क्या है यह समझने में अधिनस्थ न्यायालय ने भूल की है। पंजीकृत विक्रय विलेख प्रारम्भ से शून्य, प्रभावहीन, फर्जी व बनावटी है, जिससे धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व न्यायालय को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायम कर साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करना

चाहिए था। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष उसे दिलाया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वादीगण का वाद विधि बाधित माना है, जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उक्त बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में यह स्पष्ट अंकन किया है कि वादीगण ने विक्रय पत्र को शून्य घोषित कराने का वाद प्रस्तुत किया है, परन्तु वाद में उनके द्वारा यह बात छुपायी गयी है कि वाद दायर करने से पहले दिनांक 01–10–2013 को वादियों द्वारा एक रजिस्टर्ड बिकावनामा श्री भगाराम के पक्ष में लिया गया है जो वादीगण स्वयं ने आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया। इसके पश्चात् वादीगण इस खसरे में अपना कोई अधिकार नहीं रखते हैं एवं घोषणा के अधिकारी नहीं है तथा उनका कोई लोकस स्टैण्डाई है। अधिनस्थ न्यायालय ने यह भी माना है कि वाद में मुख्य बिन्दु रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की जांच एवं उसके आधार पर दोनों विक्रय पत्रों में से एक को फर्जी और धोखे से कराया जाना मानते हुए निरस्त करना था, जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। अधिनस्थ न्यायालय का उपरोक्त विवेचन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–04–2014 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 21–10–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती भूरीबाई पत्नी कन्नाजी गमेती, निवासी बलीचा, गोवर्धन विलास, उदयपुर व अन्य बनाम **भगाराम पिता केसाजी गरासिया, निवासी ग्राम रावछ, तह. गोगुन्दा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**17 / 2014**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**23**.....माह.....**04**.....**2014**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**21**....माह.....**10**.....सन् **2019** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री महेश भट्ट** .....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री दुर्गासिंह शक्तावत**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–04–2014 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**21**.....माह.....**10**.....**2019** को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।